

W
M

प्ररूप 26
(नियम 4क देखिए)



26 - रातौपुर

(निर्वाचन क्षेत्र से)

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

उत्तराखण्ड विधानसभा

(सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटनिंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र

मैं, हराम आहुजा पुत्र/पुत्री/पत्नी मोतीराम
आयु 61 वर्ष, जो 231

का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-
मौलाना मोहम्मद जामिय (ए.ए.ए.)

1. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी):-

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं N/A

(ii) पुलिस थाना (थानों) N/A जिला (जिलें) N/A राज्य N/A

(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है N/A

(iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई N/A

(v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था N/A

(vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकੀ गई है/हैं N/A

2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं

ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है/ नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दण्डादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :-

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं..... N/A

(ii) न्यायालय, जिसने दण्डित किया है..... N/A

(iii) पुलिस थाना (थाने)..... N/A जिला (जिले)
राज्य..... N/A

(iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है..... N/A

(v) तारीख (तारीखें) जिनको दण्डादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे..... N/A

(vi) क्या दण्डादेश सुनाया जाने वाला न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं.....

स्थान

तारीख

दिल्ली
12/1/12

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथ-पत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्विक बात छिपायी नहीं गयी है।

..... दिल्ली स्थान पर आज तारीख 12/1/12 को सत्यापित किया।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पणी :- इस प्रारूप को वे स्थानों, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं है, काट दिया जाये।

ATTESTED

P. R. SINGHAL
NOTARY ADVOCATE
H.Q. HARIDWAR (U.A.)



Witnessed by

12

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु.10



TEN
RUPEES
Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND



Handwritten signature



Handwritten text: श्रीमान् आर्य